प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

खंडपीठ: - माननीय आई. एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्ति एवं
माननीय मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

एम. ए. (सी.) क्रं. 629/2007

अपीलार्थी : द ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमी.

//बनाम//

प्रत्यर्थीगण : विनय सिंह चौहान एवं अन्य

विविध अपील अंतर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम, 1988

उपस्थित: अपीलार्थी हेतु श्री सुधीर अग्रवाल, अधिवक्ता
नोटिस की तामील के बावजूद प्रत्यर्थी हेतु कोई उपस्थित नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 29.04.2011)

आई.एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्ति, द्वारा पारित

1. यह अपील बीमा कंपनी द्वारा द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 86/2006 में मात्रा के प्रश्न पर पारित आक्षेपित पंचाट दिनांक 25.01.2007 के विरूद्ध दायर की गई है।
2. अपीलकर्ता को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के तहत मात्रा को चुनौती देने की अनुमति मिल गई थी।
3. आहत दावेदार के कथन के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 03.04.2006 को वह अपनी मोटरसाइकिल पंजीकरण क्रमांक **MP**-20-**KG**/2371 से रायपुर से कवर्धा जा रहा था। रास्ते में, सुबह 10 बजे कन्होरा मोड़ के पास, ट्रक क्रमांक एम.पी.06-ई/4625 (पुराना क्रमांक **C.G**.04/**J**/5979), जिसे प्रत्यर्थी क्रमांक 2 तेजी और लापरवाही से चला रहा था, ने आहत दावेदार की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।

वह विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया और इलाज पर भारी रकम खर्च की। दुर्घटना में लगी चोटों के कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया है और काम करने में असमर्थ है। दुर्घटना के समय, आहत की आयु लगभग 40 वर्ष थी और वह ठेकेदारी करके 8000 रुपये प्रति माह कमा रहा था। अपीलकर्ता ने विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल 19,75,000 रुपये के प्रतिकर के लिए दावा याचिका दायर की है।

4. विद्वान दावा अधिकरण ने माना कि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 द्वारा चलाए जा रहे दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक ने अपीलकर्ता को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं और वह 50% तक स्थायी रूप से विकलांग हो गया। अधिकरण ने मृतक की आय 8000/- रुपये प्रति माह और 96,000/- रुपये प्रति वर्ष मानी है। स्थायी विकलांगता के संदर्भ में 50% की कटौती के बाद, आय की वार्षिक हानि 48,000/- रुपये आंकी गई है और गुणक 15 को लागू करने पर, आय की कुल हानि 7,20,000/- रुपये आंकी गई है। इसके अलावा, अधिकरण ने इलाज और चिकित्सा व्यय के लिए 75,000/- रुपये, दर्द और पीड़ा के लिए 15,000/- रुपये, टैक्सी किराये के लिए 4,850/- रुपये और भविष्य के इलाज के लिए 15000/- रुपये भी मंजूर किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने अधिकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया और पाया कि उपचार करने वाले चिकित्सा अधिकारी की परीक्षण नहीं की गई थी। हालाँकि, डॉ. संदीप साहू (ए.डब्लू.2) गवाह के कठघरे में आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने दावेदार को स्थायी विकलांगता प्रमाणपत्र (एक्स.पी-45) जारी किया था और बताया कि दावेदार के हाथ में 15% और पैर में 35% स्थायी विकलांगता है। अधिकरण ने दोनों विकलांगताओं को जोड़ा तथा मूल्यांकन किया गया तथा कुल स्थायी विकलांगता को 50% (15% + 35%) माना गया एवं क्षतिपूर्ति प्रदान किया गया।

6. हमारी मतानुसार, आहत व्यक्ति की स्थायी विकलांगता के कारण भविष्य में होने वाली आय की हानि का आकलन करने के उद्देश्य से, उसके शरीर की कुल स्थायी विकलांगता का निर्धारण करने में अधिकरण द्वारा दोनों विकलांगताओं का प्रतिशत जोड़ना उचित नहीं था। इसे जोड़ा जाना है या नहीं, यह उस परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के किसी सदस्य को बुलाकर चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

7. स्थायी विकलांगता को धारा 142 के अलावा कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, जो इस प्रकार है:

"142. स्थायी निःशक्तता। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति की स्थायी निःशक्तता धारा 140 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना के परिणामस्वरूप मानी जाएगी, यदि ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना के कारण निम्नलिखित चोट या चोटें लगी हों:

(क) किसी भी आँख की दृष्टि या किसी भी कान के सुनने की शक्ति का स्थायी रूप से नुकसान, या किसी अंग या जोड़ का नुकसान; या

(ख) किसी सदस्य या सदस्य की शक्तियों का विनाश या स्थायी रूप से ह्रास, या

(ग) सिर या चेहरे का स्थायी रूप से विकृत होना।

8. धारा 143, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कुछ दावों पर मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय की प्रयोज्यता का प्रावधान करती है।

9. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163 ए की उपधारा (1) का स्पष्टीकरण यह व्यक्त करता है कि उस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "स्थायी विकलांगता का वही अर्थ होगा और धारा 163-ए की दूसरी अनुसूची के खंड 5 में, 'गैर-घातक दुर्घटनाओं में विकलांगता' का विवरण दिया गया है और उप-खंड (बी) के बाद, यह उल्लेख किया गया है कि "चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण विकलांगता / स्थायी आंशिक विकलांगता और कमाई क्षमता के नुकसान का प्रतिशत श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत अनुसूची- I के अनुसार होगा"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. **प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाता और अन्य के मामले में एआईआर 1976 एससी 222** में प्रतिवेदित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने कंडिका 5 में निम्नानुसार निर्णय दिया है: -

"5. अधिनियम की धारा 2(1)(1) में "पूर्ण विकलांगता" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:- "(1) "पूर्ण निःशक्तता से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, जो किसी कर्मकार को ऐसे सभी कार्यों के लिए अक्षम कर देती है जिन्हें वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई।" हमारे समक्ष इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि चोट ऐसी प्रकृति की थी जिससे प्रत्यर्थी को स्थायी निःशक्तता हो गई और विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या निःशक्तता ने प्रत्यर्थी को ऐसे सभी कार्यों के लिए अक्षम कर दिया था जिन्हें वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था। आयुक्त ने इस प्रश्न की जांच की है और अपने निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज किए हैं:-

"इस मामले में घायल कामगार पेशे से बढ़ई है... कोहनी के ऊपर बायां हाथ कट जाने के कारण, वह स्पष्ट रूप से बढ़ईगीरी के काम के लिए अयोग्य हो गया है क्योंकि बढ़ईगीरी का काम केवल एक हाथ से नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट रूप से एक उचित और सही निष्कर्ष है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता किसी भी आधार पर इसका विरोध नहीं कर पाए हैं और इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इस अपील में सुधार किया जाना चाहिए। अनुसूची **I** के भाग **II** के मद 3 के संदर्भ में प्रस्तुत अन्य तर्क का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आयुक्त के समक्ष अपीलकर्ता का यह तर्क नहीं था कि भुजा का विच्छेदन एक्रोमियन की नोक से 8 इंच की दूरी से ओलेक्रेनन की नोक से 4% इंच से कम नीचे तक हुआ था। इसलिए, उन तथ्यों के आधार पर एक नया मामला स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिन्हें स्वीकार या स्थापित नहीं किया गया है।"

11. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुबासिर अहमद और अन्य के मामले में (2007) 2 एससीसी 349** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार माना है:-

"इसलिए, काम करने की क्षमता का नुकसान शारीरिक अक्षमता के प्रतिशत का विकल्प नहीं है। यह ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है। वर्तमान मामले में, जिस डॉक्टर ने दावेदार का परीक्षण किया है, उसने कार्यात्मक अक्षमता के बारे में भी नोट किया। दूसरे शब्दों में, डॉक्टर ने कमाई करने की क्षमता के नुकसान से संबंधित प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दिया था। बिना कोई कारण या आधार बताए उच्च न्यायालय ने अभिनिरार्धरित किया कि कमाई करने की क्षमता का 100% नुकसान हुआ था। चूँकि निष्कर्ष के समर्थन में कोई आधार नहीं बताया गया, इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश के उस हिस्से को अपास्त करते हैं और तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत आयुक्त के आदेश को बहाल करते हैं। ब्याज का भुगतान करने की देयता के प्रश्न पर आते हुए, धारा 4-ए(3) उस प्रश्न से निपटती है। प्रावधान ऊपर उद्धृत किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहम्मद नासिर अन्य के मामले में, जो 2009 एआईआर एससीडब्ल्यू 3717** में प्रकाशित किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8,10,11,12,13,14 और 16 में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

8. 1923 अधिनियम और 1988 अधिनियम दोनों लाभकारी कानून हैं क्योंकि वे नियोक्ताओं द्वारा नियोजित श्रमिकों और/या मोटर वाहन के उपयोग से होने वाले

नुकसान के लिए प्रतिकर के भुगतान का प्रावधान करते हैं।स्थायी विकलांगता से पीड़ित दावेदारों को उसके मालिक और/या बीमाकर्ता द्वारा प्रतिकर दिया जाएगा।

10. दोनों अधिनियमों का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र राहत प्रदान करना है। इन मामलों में, दुर्घटनाएँ मोटर वाहनों के उपयोग के कारण हुईं।

ये दोनों कानून कामगारों के साथ-साथ तीसरे पक्ष के लिए भी लाभकारी हैं। इनके लाभ केवल अधिनियम के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ-साथ अनुबंध या बीमा के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों को ही उपलब्ध हैं।

अतः इन कानूनों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। इनमें निहित विधायी आशय को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इनकी व्याख्या करना आवश्यक है।

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, हम पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा हमारे समक्ष उठाए गए तर्कों का विश्लेषण कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोनों अधिनियमों में आय क्षमता के प्रतिशत की गणना करने की विधि और ढंग का प्रावधान है। इनमें यह प्रावधान है कि इस प्रकार के मामलों में मुआवजे की राशि, 1923 अधिनियम की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट चोटों के सापेक्ष पीड़ित व्यक्ति की शारीरिक अक्षमता के प्रतिशत से सीधे संबंधित होगी। निस्संदेह, जहां चोटें पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं, वहां प्रतिकर की राशि की गणना के लिए निर्धारित विधि और ढंग लागू होंगे।

12. यह प्रावधान किसी योग्य चिकित्सक द्वारा शारीरिक अक्षमता की सीमा निर्धारित करने का है, ताकि वह आय अर्जित करने की क्षमता में हुई हानि का आकलन कर सके। धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ग) से संलग्न स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक चोटें हों, तो मुआवजे की कुल राशि ली जाएगी, लेकिन यह राशि स्थायी पूर्ण अक्षमता की स्थिति में देय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह भी निर्विवाद है कि आय क्षमता के नुकसान की राशि निर्धारित करते समय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को दर्ज करना होगा।

1923 अधिनियम, जो 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले दावों और आवेदनों पर भी लागू होगा, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को विकलांगता होने की स्थिति में प्रतिकर की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से उन मामलों में लागू होगा जो इसके दायरे में आते हैं। 1988 के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संलग्न नोट एक कानूनी कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि 'स्थायी पूर्ण विकलांगता/स्थायी आंशिक विकलांगता और अर्जित क्षमता में कमी के प्रतिशत को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची I के अनुसार माना जाएगा।' अतः, कुछ उद्देश्यों के लिए स्थायी विक-लांगता को कार्यात्मक विकलांगता से सहसंबंधित किया गया है।

13. अतः, हमारी राय में, प्रासंगिक बात यह पता लगाना है कि चोटों की प्रकृति क्या है और क्या वे इसके भाग 1 या भाग II के दायरे में आती हैं। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि भाग I उन चोटों को निर्दिष्ट करता है जिनके परिणामस्वरूप स्थायी पूर्ण विकलांगता हो सकती है, जबकि भाग II उन चोटों को निर्दिष्ट करता है जिनके परिणामस्वरूप स्थायी आंशिक विकलांगता हो सकती है। 'स्थायी पूर्ण विकलांगता' और 'स्थायी आंशिक विकलांगता' के बीच अंतर यह है कि पहले में 100% विकलांगता होती है, जबकि दूसरे में केवल अनुसूची में निर्दिष्ट सीमा तक ही विकलांगता होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मोटर वाहन अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 5 के खंड (क) और (ख) में समान शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें संदर्भ द्वारा 1923 अधिनियम की प्रथम अनुसूची के प्रावधान समाहित हैं। अतः, निर्विवाद रूप से, इसके साथ संलग्न टिप्पणी न केवल उन मामलों पर लागू होगी जो 1923 अधिनियम के अं-तर्गत आते हैं, बल्कि उन मामलों पर भी लागू होते हैं जो 1988 के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

16. प्रतिकर की राशि निर्धारित करते समय, नोट के संदर्भ में कई कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार, कार्यात्मक अक्षमता का अंग हानि से सीधा संबंध है।

मोहम्मद नासिर एक ड्राइवर था । वाहन चालक के लिए दोनों पैरों का उपयोग करने में सक्षम होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह वा हन चलाने में असमर्थ था और इसके अलावा कोई अन्य काम भी नहीं कर सकता था । वह अपने शरीर पर भार उठाने में असमर्थ था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान उसने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने ही अपने कार्यालय में उनकी जांच की थी। कोई विकलांगता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। उसने स्वीकार किया कि उसे कोई स्थायी विकलां गता नहीं हुई थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (जिनकी जांच नहीं हुई थी) के अनु-सार भी, उसे केवल 15% विकलांगता हुई थी।

अधिकरण निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचा है:

"विकलांगता प्रमाण पत्र के मूल पृष्ठ 16 पर दवा का नुस्खा, सर्वोदय और मोहन की एक्स-रे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें दाहिने पैर में फ्रैक्चर का पता चलता है। सीएमओ प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन 9/2003 दिनांक 21.3.2005 भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे बीमा कंपनी द्वारा फर्जी बताया गया है। मैंने इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है, जिस पर मुरादाबाद विकलांगता बोर्ड के उप सीए-मओ अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इसमें दर्शाया गया है कि आवेदक चिकित्सा जांच के लिए उनके समक्ष उपस्थित हुआ था और उसकी जांच वरिष्ठ अस्थि शल्य चि कित्सक डॉ. आर.के. सिंह द्वारा डॉ. बंसल की सिफारिश के आधार पर की गई थी। ऑपरेशन 2.10.2004 को किया गया था। आवेदक सहारे से चलता है और भारी मोटर वाहन चलाने में सक्षम नहीं हैं। उक्त प्रमाण पत्र इस सिफारिश के साथ जारी किया गया था कि छह महीने बाद उसकी स्थिति की समीक्षा की जाए।"

वह दस्तावेज़ 29.3.2005 को दाखिल किया गया था। बीमा कंपनी ने तर्क दिया है की वह डॉक्टर जिसने विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया था उसे न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। लेकिन बाद की स्थिति को देखते हुए, बी-मा कंपनी का यह दावा कि उक्त प्रमाण पत्र जाली है और इसे एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा जारी नहीं किया गया है, निराधार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इसलिए, स्थायी विकलांगता का घायल व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमता से सीधा संबंध है। इस मामले में, अधिकरण ने वास्तविक स्थायी विकलांगता के कारण दावेदार की भविष्य की आय हानि का आकलन नहीं किया है, बल्कि शरीर के ऊपरी हिस्से में 15% और निचले हिस्से में 35% विकलांगता को जोड़कर, आय हानि को 50% मानकर मनमाने ढंग से प्रतिकर दिया है, जो उचित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, अधिकरण को केंद्रीय सरकारी मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 226 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 में निर्धारित विधि के अनुसार उचित जांच करनी चाहिए थी।

14. छ. ग. मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 226 में यह प्रावधान किया गया है कि दावा अधिकरण पुलिस, चिकित्सा एवं अन्य अधिकारियों से आवश्यक सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त करेगा और अभियोग तिथि पर नोटिस प्राप्त पक्षों की उपस्थिति हो या न हो, दावे का निपटारा करेगा। इसके अतिरिक्त, हम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें यह प्रावधान है कि धारा 166 के तहत प्रतिकर के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, दावा अधिकरण पक्षों (बीमाकर्ता सहित) को सुनवाई का अवसर देने के बाद दावे की जांच करेगा और धारा 162 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए प्रतिकर की राशि निर्धारित करते हुए जो न्यायसंगत होगा, निर्णय सुना सकता है। हालांकि, अधिकरण ने उपरोक्त रीति से कोई जांच नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इसके अलावा, **राज कुमार बनाम अजय कुमार और अन्य** के मामले में, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 को दिए गए निर्णय और **IV (2010) दुर्घटना एवं प्रतिकर मामले 815 (एससी)** में प्रकाशित प्रतिवेदन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 11 में निम्नलिखित कहा:

> 11. चोटों और उनके प्रभाव, विशेष रूप से स्थायी विकलांगता की सीमा के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर अधिकरण को मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए। अधिनियम की धारा 168 और 169 से यह स्पष्ट है कि अधिकरण किसी दीवानी वाद की तरह तटस्थ निर्णायक के रूप में कार्य नहीं करता, बल्कि सत्य के सक्रिय अन्वेषक और खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है, जिसे 'उचित प्रतिकर का निर्धारण' करने के लिए दावे की जांच करनी होती है। अतः अधिकरण को सही और सटीक स्थिति का पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि वह 'उचित प्रतिकर' का आकलन कर सके। व्यक्तिगत चोट के मामलों से निपटते समय, अधिकरण को चिकित्सा साक्ष्य को समझने और शारीरिक एवं कार्यात्मक विकलांगता

का आकलन करने के लिए एक चिकित्सा शब्दकोश और स्थायी शारीरिक अक्षमता के मूल्यां कन के लिए एक पुस्तिका (उदाहरण के लिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स द्वारा तैयार ऑर्थोपेडिक सर्जनों के लिए स्थायी शारीरिक अक्षमता के मूल्यांकन की नियमावली या इसका भारतीय समकक्ष या अन्य अधिकृत ग्रंथ) से सुसज्जित होना चाहिए। अधिकरण को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की पहली अनुसूची को भी ध्यान में रख सकता है, जो कर्मकारों के मामले में विभिन्न प्रकार की चोटों में स्थायी अक्षमता की सीमा के बारे में कुछ संकेत देती है। यदि कोई डॉक्टर साक्ष्य देते समय तकनीकी चिकित्सा शब्दों का प्रयोग करता है, तो अधिकरण को उसे निर्देश देना चाहिए कि वह इसके अतिरिक्त, सरल गैर-चिकि-त्सा शब्दों में, चोट की प्रकृति और प्रभाव का वर्णन करे। यदि कोई डॉक्टर स्थायी अक्षमता के प्रतिशत के बारे में साक्ष्य देता है, तो अधिकरण द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि क्या विकलांगता का यह प्रतिशत पूरे शरीर के संदर्भ में कार्यात्मक विकलांगता है या के वल किसी अंग के संदर्भ में है। यदि स्थायी विकलांगता का प्रतिशत किसी अंग के संदर्भ में बताया गया है, तो अधिकरण को डॉक्टर की राय लेनी होगी कि क्या पूरे शरीर के संदर्भ में संबंधित कार्यात्मक स्थायी विकलांगता का अनुमान लगाना संभव है और यदि हां, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। (जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अतः, हमारा मत है कि अधिकरण द्वारा प्रतिकर की मात्रा, अर्थात् स्थायी विकलांगता के संद-र्भ में पीड़ित को दिए जाने वाले प्रतिकर के आकलन के संबंध में पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसके लिए, अधिकरण उचित जांच करेगा और स्थायी विकलांगता के संदर्भ में पीड़ित की भविष्य की आय हानि का पता लगाएगा, और इसके लिए अधिकरण चिकित्सा बोर्ड की राय ले सकता है। यदि पीड़ित चाहे तो नियोक्ता को प्रस्तुत करके वेतन प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।

17. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित अधिनिर्णय अपास्त किया जाता है। उपरोक्त टिप्पणियों के दृष्टिगत मामले को अधिकरण को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजा जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

18. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पक्षकारों को अपने अभिवचनों में संशोधन करने, अति-रिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने, दस्तावेज़ दाखिल करने या उनका सत्यापन करवाने आदि की अनु-

मति होगी, और उसके बाद नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। अधिकरण जांच करेगा, जो स्थायी विकलांगता के कारण आहत हुए दावेदार की कमाई में भविष्य में होने वाले नुकसान के आकलन के लिए आवश्यक है ।

19. पक्षकार **15 जून, 2011** को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे। एलसीआर को बिना किसी और देरी के वापस भेज दिया जाएगा।

20. यदि बीमा कंपनी द्वारा राशि जमा की जाती है, तो उसे समय-समय पर बढ़ाई जा सकने वाली छह महीने की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी जमा में रखा जाएगा। हालांकि, यदि राशि या उसका कोई भाग दावेदार को भुगतान किया जा चुका है, तो दावा याचिका लंबित रहने के दौरान उसे वसूल नहीं किया जाएगा। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-
आई. एम. कुद्दुसी,
न्यायमूर्ति

सही/-
मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By …Niraj Baghel, Advocate